न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 2 / 2026 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्रीमती उषा शर्मा पत्नि श्री भगवानदास शर्मा निवासी मकान नं. 147 रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा जिला कोटा राज0।

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 22/01/2026

1— श्रीमती उषा शर्मा पत्नि श्री भगवानदास शर्मा निवासी मकान नं. 147 रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा जिला कोटा राज0। (मो0 8619600565) द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सूचना चाही गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त सूचना के अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई न ही कोई कार्यवाही की गई है।

अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी को नियत तिथि के अन्दर मांगी गई सूचना की जानकारी की प्रमाणित सूचना देने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेश जारी करने की कृपा करे।

2— अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा से टिप्पणी / जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर / एडीएम / 2026 / 05 दिनांक 5.01.2026 से लिखा गया। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र कमांक 06 दिनांक 5.01.2026 भिजवाया गया। अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुए।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

3– लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपरुा द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट/टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्रांक/भू0अ0/2025/222 दिनांक 13.01.2026 से वाछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट/टिप्पणी यह अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
कोटा (राज.)